तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२-२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

सन्दर्भ सं० Ref. No. 883 / NOC-786-15/16

दिनांक Dated : 12/5/16

सेवा में,

मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0,
द्वारा–श्री पवन कुमार गौतम
177 किमी, एन0एच0–731, सुल्तानपुर लखनऊ रोड,
गाटा संख्या–749, ग्राम–ककरी तह0–हैदरगढ़
जिला–बाराबंकी

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 29/04/16 को प्राप्त हुआ है, के परिक्षणोपरान्त, प्रस्तावित स्थल का इस कार्यालय के द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पाये तथ्यों के आधार पर मै0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 177 किमी, एन0एच0–731, सुल्तानपुर लखनऊ रोड, गाटा संख्या–749, ग्राम–ककरी तह0–हैदरगढ़, बाराबंकी को निम्न शर्तो के कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. उद्योग की स्थापना आवेदन पत्र पर उल्लेखित स्थल पर ही किया जायेगा। 16 किली0 के टैंक में पेट्रोल (एम0एस0) एवं 16 किली0 व 22 किली0 के टैंकों में डीजल–(एच0एस0 डी0) का भण्डारण भूमिगत सुरक्षित स्टील टैकों में किया जायेगा तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 से आपूर्ति मशीनों के माध्यम से ईंधन की बिक्री करेगा।
2. घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टेंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जायें।
3. प्रस्तावित 25 केवीए के डी0जी0 सेट पर राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा।
4. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानों पर त्वरित गति से बढ़ने वाले पौधों का रोपड़ कर हरिपट्टिका विकसित की जाये।
5. दुर्घटना/आकस्मिक आग से निपटने हेतु समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन विभाग के दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. परीक्षण उत्पादन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
7. स्थल का भू–प्रयोग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर एक माह में बोर्ड में जमा किया जाये।
8. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थानों पर त्वरित गति से बढ़ने वाले पौधो का रोपड़ कर हरिपट्टिका विकसित की जाये।
9. उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग की उचित व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य होगा।
10. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी